संख्या: 6/2021/40/सत्रह-म-2021-6-9 (6)/18टी0सी0

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 03 फरवरी,2021

विषय वित्तीय वर्ष 2020-21 में 190 सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 37.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 124/ ले0शा0/2020-21 दिनांक 04.01.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या -17 लेखाशीर्षक-2405 मछली पालन 190-सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता,03-मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 148.00 लाख में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 37.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या- 17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता योजना की मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 148.00 लाख में से अवशेष धनराशि के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 37.00 लाख (रू0 सैतींस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्य योजना एवं योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक /डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/ सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों,उ0प्र0 प्रोक्योरमेंट मैनुअल (प्रोक्योरमेंट आफ गुडस) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020 दिनांक 24.03.2020,पत्र संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 07.04.2020, पत्र संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020दिनांक11.04.2020 एवं पत्र संख्या-6/2020/बी-1-218/दस/2020-231/2020, दिनांक 18.05.2020 तथा शासनादेश दिनांक 06.06.1994 में दिये गये दिशा- निर्देशों /प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

(9) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथा समय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(14) नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेंज चार्ज दिये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारी का होगा। वित्तीय व निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रयोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/ यथाआवश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत /माध्यम से किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(16) प्रायोजना में प्रस्तावित कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ द्विरावृत्ति न हो, इसे सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक मत्स्य व सम्बंधित अधिकारी का होगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 190- सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को सहायता, 03- मत्स्य पालक विकास अभिकरण को सहायता, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैरवेतन) की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: 115/ ई-दस-1-2021 , दिनांक : 01 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 6 /2021 / 40 (1)/ सत्रह-म-2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com